न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 43 / 2014 / बाड़मेर

अपीलांट

1. कूम्पसिंह पुत्र आम्बसिंह फौत के कायम मुकामः–1 / 1सुरतानसिंह पुत्र स्व0 कुम्पसिंह उम्र 47 वर्ष
   1 / 2उम्मेदसिंह पुत्र स्व0 कुम्पसिंह उम्र 45 वर्ष
   1 / 3कौशलसिंह पुत्र स्व0 कुम्पसिंह उम्र 42 वर्ष
   1 / 4मोहरों कंवर पत्नी स्व0 कुम्पसिंह उम्र 70 वर्ष
2. प्रतापसिंह पुत्र आम्बसिंह फौत के कायम मुकामः–2 / 1लाधूसिंह पुत्र स्व0 प्रतापसिंह
   2 / 2खुमाणसिंह पुत्र स्व0 प्रतापसिंह
   2 / 3भाखरसिंह पुत्र स्व0 प्रतापसिंह
   2 / 4किशनकंवर पत्नी स्व0 प्रतापसिंह
3. सबलसिंह पुत्र आम्बसिंह
4. लखसिंह पुत्र आम्बसिंह जाति राजपूत निवासी बूठ जेतमाल तहसील व जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम

1.मूलसिंह पुत्र रामसिंह
2.कौशलसिंह पुत्र रामसिंह
3.तनसिंह पुत्र रामसिंह
4.मालमसिंह पुत्र रामसिंह
5.बाजूकंवर पत्नी रामसिंह
6.जालमसिंह पुत्र रामसिंह गोद पुत्र केसरसिंह
7.गोरधनसिंह पुत्र बीजराजसिंह जाति राजपूत निवासी बूठ जेतमाल तहसील व जिला बाड़मेर।
8.शैतानसिंह पुत्र डूंगरसिंह
9.देवीसिंह पुत्र विरधसिंह जाति राजपूत निवासी गेहूँ तहसील व जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 210 / 2013 बअनवान मूलसिंह वगैरा बनाम कूम्पसिंह वगैरा निर्णय दिनांक 18.07.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सम्पतराज बोथरा रेस्पोडेंट की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 10.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि अपीलकर्तागण व उतरदातागण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा बेसलाणियों का तला, तहसील धोरीमन्ना में खसरा संख्या 39 रकबा 56.08 बीघा, खसरा संख्या 40 रकबा 87.03 बीघा, खसरा संख्या 43 रकबा 75.08 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 44 रकबा 30.10 बीघा की आई हुई है। अपीलांट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश पारित किये गये तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना वाद डिक्री किया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार धोरीमन्ना को आदेशित किया कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करे, इस पर नायब तहसीलदार ने अपीलांट को पूर्व सूचित या नोटिस दिये बगैर तथा अपीलांट की गैर मौजूदगी में गलत रूप से उतरदातागण के कहेनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार धोरीमन्ना को आदेशित किया कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करे, इस पर नायब तहसीलदार ने अपीलांट को पूर्व सूचित या नोटिस दिये बगैर तथा अपीलांट की गैर मौजूदगी में गलत रूप से उतरदातागण के कहेनुसार विभाजन प्रस्ताव कब्जे के प्रतिकूल तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds के आधार पर किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार तैयार नहीं किया गया है। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। वादी गोरधनसिंह को दो खसरों में भूमि दी गई है, जिस पर उसने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर आपति प्रस्तुत की है। खसरा संख्या 44 में अपीलांट पक्ष की ढाणी व टांका हो ना जाहिर किया है। विभाजन प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 13.05.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूलसिंह वगैरह (उतरदाता संख्या 01 से 05) पिता रामसिंह तथा जानमसिंह गोदपुत्र केसरसिंह (उतरदाता संख्या 06) की मौके पर अलग–अलग कब्जा काश्त नहीं होने से एक ही चोक में अर्थात एक साथ ही रखा गया है। इसमें मलसिंह वगैरह व जालमसिंह सहमत है। इस विभाजन प्रस्ताव से अपीलांट पक्ष की सहमति का कोई उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि विभाजन प्रस्ताव समुचित रूप से नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 210/2013 बअनवान मूलसिंह वगैरा बनाम कूम्पसिंह वगैरा निर्णय दिनांक 18.07.2014 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित करे।

10/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner